न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 105/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नाथुराम पुत्र अमराराम जाति माली निवासी रेलमगरा (बर) तहसील रायपुर		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.03.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 85/2016 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माकडवाली के खसरा नम्बर 83 रकबा 08 बिस्वा भूमि पर अपीलाण्ट का अतिचार दर्शाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण किया गया तथा अपीलाण्ट को बेदखल करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारवास से दण्डित किया, जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रेकर्ड पत्रावली पर नही है तथा अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उसमे भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण को कोई जिक्र नही है। वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 08 बिस्वा भूमि पर अपीलाण्ट का कोई अतिचार नही है, बल्कि खसरा नम्बर 83 के पास में खसरा नम्बर 84 की भूमि स्थित है, जो अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा आराजी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि का बिना सीमांकन किये मात्र कयास के आधार पर खसरा नम्बर 84 की भूमि को खसरा नम्बर 83 की मानते हुए जैर अपील प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण निस्तारित करते हुए बेदखली एवं सजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरण में जिस स्थापित नियम कायदों की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने दबाव प्रभाव में आकर अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नही किया है, बिना किसी साक्ष्य

अति० जिला कलक्टर, पाली

सबूत के अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जो गैर वाज़िब है। अपीलाधीन आदेश बिना साक्ष्य सबूत के पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 1993 पेज 363 रामनाथ बनाम सरकार, आर0आर0टी0 2014–15 पेज 681 रामचरण बनाम सरकार, आर0आर0टी0 2014–2015 (Supp.) कन्हैयालाल बनाम सरकार पेज 729 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त पेश किये।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम माकडवाली के खसरा नम्बर 83 रकबा 08 बिस्वा किस्म गै0मु0 बाली की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम माकडवाली के खसरा नम्बर 83 रकबा 08 बिस्वा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट नाथुराम द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार रायपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाथुराम को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में गैरसायल को व्यक्तिशः नोटिस तामील नही हुआ है, किन्तु नियत तारीख पेशी पर स्वयं अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने कथन किया कि उक्त अतिक्रमी को पूर्व में दिनांक 06.08.2016 को वादस्थ भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था, किन्तु इसने पुनः इस भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का के इन कथनों से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है। वकील अपीलाण्ट ने कथन किया कि प्रकरण में वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है। इन तथ्यों की ताईद पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 11.12.2016 से होती है, जिसमें पटवारी हल्का ने यह स्पष्ट किया कि नाथूराम ने मौके से अतिक्रमण हटा कर कब्जा राज्यहित में सुपुर्द कर दिया है। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। हमने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित हुआ है, इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है, किन्तु प्रार्थी ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया

अति० जिला कलेक्टर, पाली

है। चूंकि वर्तमान में मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है, इसलिये अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट को दी गई सजा को बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 85/2016 सरकार बनाम नाथूराम में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2016 में अन्य प्रविष्ठियों को बदस्तूर रखते हुए मात्र तीन माह के सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि अपीलाण्ट, इस आदेश के पारित होने की दिनांक से दो माह की अवधि में तहसीलदार रायपुर के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके द्वारा वादस्थ आराजी से अपना कब्जा हटा दिया है एवं यह भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नही किया जावेगा एवं तहसीलदार रायपुर उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेंगे। यदि अपीलाण्ट ऐसा करने में कोई चूक करता है, तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे। इसके साथ ही तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन करें तथा शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने की दशा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, यथोचित होने पर राजस्थान भू राजस्व (अतिचारियों की बेदखली) नियम 1975 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली